मूल आवेदन संख्या :– 70 / 2023

अनवान – सवाईराम बनाम गोमाराम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.08.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त एवं अविभाजित खातेदारी की भूमि मौजा नीम्बला, पटवार मण्डल नीम्बला तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 229 रकबा 27.6238 हैक्टेयर की आयी हुई है, जिसमें प्रार्थीगण के हिस्से खुले हुए है। इसी अनुसार पक्षकारान् मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2016 में अपनी भूमि की पैमाईश करवाकर नेखमबंदी करवाई हुई है, जिसमें खेत के चारों तरफ नेखम / चीणों के टुकड़े स्थापित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा नेखमबंदी के संबंध में दस्तावेज पेश किये। वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की सयुंक्त खातेदारी खेत के उतरी पूर्वी सेढा पर कुछ हिस्से की भूमि पर जबरन प्रवेश कर अतिक्रमण करते हुए सेढा तोडकर जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रार्थीगण के हक हिस्सा में प्रवेश कर प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। जबकि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की नेखमबंदी शुदा एवं कब्जा काश्त की भूमि में दखलंदाजी पैदा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि विप्रार्थीगण सरजोर व्यक्ति होने एवं प्रार्थीगण को जबरदस्ती अपनी नेखमबंदी शुदा हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को इससे भारी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। साथ ही विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सेढे पर खडे पेडो व झाड़ियों को काटकर मौका स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है, जिससे प्रार्थीगण का अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के नेखमबंदी शुदा कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे। इसके विपरीत विप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस है कि प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन मनगढंत एवं झुठे व बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अपने वास्तविक रकबे से अधिक भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का प्रयास किये जाने पर विप्रार्थीगण द्वारा मना किया तो प्रार्थीगण माने नहीं तथा झूठे तथ्यों आधारित श्रीमानजी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाने तथा पक्की नेखमबंदी का कथन किया है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि में किसी प्रकार की नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं करवाई गई है तथा सीमाज्ञान में उल्टे प्रार्थीगण का कब्जा विप्रार्थीगण की भूमि में पाया गया है। मौके पर विवादित आराजी में वक्त सेटलमेंट से माठे एवं कणे बने हुए है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन मात्र अपने रकबे से अधिक भूमि को हडपने की नियत से पेश किया गया है। विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं की जा रही है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन गलत एवं मनगढत तथ्यों के आधार पर पेश किया होने तथा मौके पर प्रार्थीगण स्वयं द्वारा अपने खातेदारी रकबे से अधिक भूमि पर कब्जा करने पर आमादा होने से अपूर्णीय क्षति विप्रार्थीगण को होने से तथा नेखमबंदी नहीं की होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को इसी स्टेज पर सव्यय खारिज फरमाया जावें। – धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्रकार है कि यदि	

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाये कि :–

(क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किया जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने (Alienated) के खतरे में है, या

(ख) उक्त वाद या कार्यवाही के संबंद्ध में कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के अभिप्राय से उस संपत्ति को हटाने या उसका व्ययन (Disposal) करने की धमकी देता है या विचार रखता है :–

– तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है .....

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में वर्णित विवादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार होने एवं मौके पर काबिज काश्त होने से होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा विवादित आराजी में किसी प्रकार की नेखमबंदी नहीं होना का कथन किया है तथा जवाब में भी लिखा है, जबकि प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में नेखमबंदी की होने का कथन करते हुए नेखमबंदी से संबंधित दस्तावेज भी पेश किये गये है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण अपने वास्तविक रकबे से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहते है, जबकि उक्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका जिससे सिद्ध हो सके। चूंकि विवादित आराजी की नेखमबंदी की होने तथा सेढा को लेकर उभयपक्ष के मध्य विवाद होने से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के नेखमबंदी कब्जा शुदा आराजी में प्रवेश किया जाकर दखंलदाजी की जाती है, तो इसे विवाद होना संभव है तथा प्रार्थीगण को अपने कब्जा से बेदखल होने पर अपूर्णीय क्षति से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद विप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नीम्बला, पटवार मण्डल नीम्बला, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 229 रकबा 27.6238 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का स्थगन आदेश ताफैसला वाद जारी किया जाकर कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner